कार्यवाही विवरण

आदेश	
19/8/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। अवलोकन व मनन उपरान्त प्रा. पत्र आमोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित व आमोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली लेखाल कुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ... आ. 50/2025 ... एस. नं: 2025/...

राजस्थान सरकार